


कन्हैयालाल

बनाम

धर्मपालागिर

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 125 सन-2020

| तारीख हुण्ड | हुण्ड या कार्यवाही पत्र इतिविवरण | नम्बर व तारीख उपखण्ड जो हुण्ड हुण्ड या सफिल में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 06.10.2020 | <p>पार्थी/सायल की ओर से जारी अतिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफ बहस प्रार्थना पत्र सायल अतिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण/गैरसायल 1 इस आशय की जारी की जाती है कि सोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 26.6710 है व भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाई रखी जावे वरते खाला पर स्थगन आदेश लागू नहीं होगा। यदि इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि पर न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वरते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 26.11.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर </p> | |
| 26/11/20 | <p>लकीर सफल उपखण्ड नोहर सं. 1 लकीर उपखण्ड का फल प्राप्त हुआ कि सायल/पत्रावली मा. नं. 125 दि. 14.12.20 को पेश है।</p> | |
| 12/14/20 | <p>पत्रावली पेश हुई बीजापुर की ओर सहायक कमिश्नर नोहर 12/14/20 को पेश है।</p> | |
| 24/12/20 | <p>पत्रावली पेश हुई बीजापुर की ओर सहायक कमिश्नर नोहर 24/12/20 को पेश है।</p> | |

6/1/21

वकील चाही के निवेदन पर प्रभावले
पेशी से ली गई वकील चाही / संकल
न निवेदन विगा की हथु परशकारी -
वा अपील से रागीनामा के उभा
के इतलिये मह प्रार्थना पत्र नही
चाहाना चाहतें खारिज कर माते।

- वकील साफल / सामल के द्वारा
अपना प्रार्थना पत्र नही चाहाने के
कारण खारिज विगा गाले से प्रभावले
कारिकल फलवत है।



उपखण्ड अधिकारी
नोहर